बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर०...202.../2021

OFSS के माध्यम से इन्टरमीडिएट सत्र 2018–20, 2019–21 एवं 2020–22 में नामांकन से संबंधित विवरणिका एवं आवेदन शुल्क की राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करने के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि OFSS के माध्यम से इन्टरस्तरीय विद्यालय/महाविद्यालय में OFSS के माध्यम से इंटर प्रथम वर्ष में अंतिम रूप से नामांकित विद्यार्थियों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया विवरणिका एवं आवेदन शुल्क 200/– रू० प्रति विद्यार्थी की दर से संबंधित विद्यालयों/महाविद्यालयों को डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से वापस किया जाना है।

1. उक्त के आलोक में विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0–146/21 के द्वारा सत्र 2018–20 के लिए दिनांक – 08.09.2021 से 13.09.2021 तक एवं सत्र 2019–21 के लिए दिनांक–14.09.2021 से 18.09.2021 के बीच तथा पी0आर0 संख्या–163/21 के द्वारा सत्र 2020–22 के लिए दिनांक– 22.09.2021 से 25.09.2021 के बीच विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यो को अपने प्रमण्डल अन्तर्गत स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से डिमांड ड्राफ्ट (DD) प्राप्त करने हेतु उक्त तिथि निर्धारित की गयी थी।
2. उक्त के आलोक में समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनानुसार अभी भी कतिपय विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यो के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट (DD) प्राप्त नही किया गया है। वैसे संस्थान के प्रधान को एतद् द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि वे स्वंय अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि डिमांड ड्राफ्ट (DD) प्राप्त करने हेतु अपने संस्थान के लेटर पैड पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ क्षेत्रीय कार्यालय से दिनांक–16.11.2021 तक सम्पर्क कर डिमांड ड्राफ्ट (DD) निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और पावती देना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पत्र पर डिमांड ड्राफ्ट (DD) प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा आवश्यक होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्राचार्य अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि को डिमांड ड्राफ्ट (DD) देने की स्पष्ट अनुशंसा करना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का पूरा पता समिति के उपरोक्त बेवसाईट पर उपलब्ध है।
4. जिन इन्टरस्तरीय विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट (DD) अभी तक नहीं लिया गया है, उनकी सूची समिति के बेवसाईट http://biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
5. **बेवसाईट पर प्रमण्डलानुसार अपलोड किए गए शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि क्षेत्रीय कार्यालय से दिनांक–16.11.2021 तक सम्पर्क कर डिमांड ड्राफ्ट (DD) प्राप्त करेंगे। निर्धारित तिथि तक डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त नहीं करने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित शिक्षण संस्थानों की होंगी।**

2.11.21

संयुक्त सचिव (OFSS)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

2/11/2021